रजि. सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 498] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 5, 1984/आश्विन 13, 1906
No. 498] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 5, 1984/ASVINA 13, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1984

का. आ. 770 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 3 के उपपैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 23.50 रु. प्रति ग्राम को उस अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है, जिस पर मूल प्रक्रम से उत्पादित प्रपुंज औषधि "जेन्टामाइसिन सल्फेट" का विक्रय किया जाएगा ।

[सं. 8(93)/80-डी 2]
ई. एन. मूर्ति, उप सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

Office of Development Commissioner (Drugs)

ORDER

New Delhi, the 22nd September, 1984

S.O. 770(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby fixes Rs. 23.50 per gram as the maximum price at which the bulk drug "Gentamycin Sulphate", produced from basic stage, shall be sold.

[No. 8(93)/80-D III]

E. N. MURTHY, Dy Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984